संख्या- 55 /2016/1888 ई-2/तेरह-2016-101/94

प्रेषक,

विनोद कुमार तिवारी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 09 सितम्बर,2016

विषय:-मेसर्स बलरामपुर चीनी मिल्स लि0, आसवनी इकाई, बलरामपुर को स्वीकृत पेय क्षमता को समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-113/दो-प्रा0डी0-38/बलरामपुर आसवनी, दिनांक 05 अक्टूबर,2015 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 05 अक्टूबर,2015 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त मेसर्स बलरामपुर चीनी मिल्स लि0, आसवनी इकाई, बलरामपुर को शासनादेश संख्या-2257 ई-2/तेरह-2002-101/94टीसी, दिनांक 03-8-2002 द्वारा स्वीकृत 18,000 किली0 वार्षिक पेय अल्कोहल निर्माण क्षमता को समाप्त किये जाने की अनुमति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है

कृपया प्रकरण में नियमानुसार आगामी कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
(विनोद कुमार तिवारी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।